संख्या–2929 /38–7–2009– एनआरईजीए/09

प्रेषक,

श्रीकृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी,
जनपद–उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 16 अक्टूबर सितम्बर, 2009

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 की अनुसूची–1 के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(IV) में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 की अनुसूची–1 के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(IV) में व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए निजी भूमि पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कार्य कराये जाने की अनुमन्यता प्रदान की गयी है। इस कम में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–826 दिनांकः 18–06–08(छायाप्रति संलग्न) के द्वारा उक्त अनुसूची–1 के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(IV) के अधीन निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा गया हैः–

"परन्तु यह कि निम्नलिखित शर्त पूरी करता हो, अर्थातः–

(1) व्यक्तिगत भूमि स्वामी कार्ड धारक हो और योजनान्तर्गत परियोजनाओं में भी कार्य कर रहा हो।
(2) ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए श्रमिक सामग्री का अनुपात 60:40 में ग्राम पंचायत स्तर पर रखा जायेगा।
(3) परियोजना ग्राम सभा और ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित होगी तथा परियोजनाओं के वार्षिक कार्य योजना का भाग होगी।
(4) कार्य के निष्पादन में कोई ठेकेदार या मशीनरी प्रयुक्त नहीं होगी।
(5) कोई मशीनरी क्रय नहीं की जायेगी।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत जनपदों में उक्त प्रकृति की परियोजनाओं में भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना द्वारा किये गये संशोधन का परिपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

13/10/09

(श्रीकृष्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 2929 (1)/38–7–2009 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उत्तर प्रदेश।
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 826] नई दिल्ली, बुधवार, जून 18, 2008/ज्येष्ठ 28, 1930
No. 826] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 2008/JYAISTHA 28, 1930

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2008

का.आ. 1489(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची I में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

2. उक्त अनुसूची के पैरा 1 के उप-पैरा (iv) के अधीन निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) परंतु यह कि निम्नलिखित शर्त पूरी करता हो, अर्थात् :—

(क) व्यैष्टिक भूमि स्वामी कार्य कार्ड धारक हो और परियोजना में भी कार्य कर रहा हो;

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए श्रमिक सामग्री का अनुपात 60 : 40 में ग्राम पंचायत स्तर पर रखा जाएगा;

(ग) परियोजना ग्राम सभा और ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित होगी तथा परियोजनाओं के वार्षिक शेल्फ का भाग होगी;

(घ) कार्य के निष्पादन में कोई ठेकेदार या मशीनरी प्रयुक्त नहीं होगी; और

(ङ) कोई मशीनरी क्रय नहीं की जाएगी।"

[फा. सं. जे-11013/2/2008-एनआरईजीए]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची I का संशोधन का.आ. 323(अ) दिनांक 6 मार्च, 2007 द्वारा किया गया है।

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2008

S.O. 1489(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following further amendments in Schedule I to the said Act, namely :—

2. In the said Schedule, in Paragraph 1, under sub-paragraph (iv), the following proviso shall be added, namely :—

(i) "Provided that the following conditions are fulfilled, namely :—

(a) the individual land owner shall be a job card holder and also work in the project;

(b) for each such project, the labour material ratio of 60 : 40 shall be maintained at the Gram Panchayat level;

(c) projects shall be approved by the Gram Sabha and the Gram Panchayat and shall be part of the annual shelf of projects;

(d) no contractors or machinery shall be used in the execution of work; and

(e) no machinery shall be purchased."

[F. No. J-11013/2/2008-NREGA]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

Note: Schedule I to the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 has been amended *vide* No. S.O. 323(E) dated the 6th March, 2007.

2294 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.